उत्तर प्रदेश शासन

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

संख्या - 17/2017/ 1047/सत्रह-म-2017-6-9(127)/2017

लखनऊ: दिनांक जून 2017

<u>शुद्धि-पत्र</u>

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना की आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष लेखानुदान अवधि (अप्रैल 2017 से अगस्त 2017तक अर्थात 5/12 भाग) रू0 1557497/- की वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश संख्या- 16/2017/746/सत्रह-म-2017-6-9(127)/2017 दिनांक 19 जून 2017 मत्स्य उत्पादन अनुभाग द्वारा निर्गत किया गया है। शासनादेशा में जनपद – संतरविदास नगर में 02- मजदूरी मद में धनराशि रू0 5376 /-(रू0 पॉच हजार तीन सौ छियत्तर मात्र) के स्थान पर त्रुटिवश धनराशि रू0 5336/-(रू0 पॉच हजार तीन सौ छत्तीस मात्र) अंकित हो गयी है। अत: उक्त उल्लिखित शासनादेश में अंकित जनपद- संतरविदास नगर में 02- मजदूरी मद में धनराशि रू0 5336/- (पॉच हजार तीन सौ छत्तीस मात्र) के स्थान पर जनपद-संतरविदास नगर में 02- मजदूरी मद में धनराशि रू0 5376/- (रू0 पॉच हजार तीन सौ छियत्तर मात्र) पढा जाय ।

2- शासनादेश संख्या- 16/2017/746/सत्रह-म-2017-6-9(127)/2017 दिनांक 19 जून 2017 उक्त सीमातक संशोधित समझा जायेगा।

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 17/2017/1047(1)/सत्रह-म-2017 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2 महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3 निदेशक मत्स्य मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
4 संयुक्त निदेशक मत्स्य मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5 सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
6 वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7 वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/नियो0अनु0-1
8 गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in